(116)

माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक- 31.12.2019 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक-31.12.2019 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गयी तथा कतिपय निदेश दिए गए जिसका विवरण आगे वर्णित है।

1. **लोक शिकायतों को अधिनियम की प्रणाली में शामिल करने के संबंध में मा. मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए निदेश-**

1. सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को पूर्व में दिए गए निर्देशों को पुनः दोहराया जाए कि पदाधिकारियों से मिलने और साक्षात्कार के क्रम में दिए जाने वाले ऐसे शिकायत आवेदन जो लोक शिकायत निवारण कानून में सुनवाई और निवारण के लिए रखे गए विषयों के हों तो उसे इसी प्रणाली में प्रविष्ट कर निवारण कराया जाए ताकि जनता को सुनवाई का अवसर मिले और इस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुए अधिकार का बोध हो। इस प्रणाली में शामिल किए जाने से ऐसे आवेदनों की tracking तथा कृत कार्रवाई की स्थिति भी सहज उपलब्ध रहेगी। इनमें वैसे मामलों को लोक शिकायत निवारण प्रणाली में प्रविष्ट कराने के लिए नहीं भेजा जाय जिसका किसी Statutory Provision के तहत अलग प्रक्रिया से निवारण कराया जाना हो अथवा जिसका निवारण किसी अन्य माध्यम से अत्यन्त शीघ्रता से कराया जाना आवश्यक हो।
2. मुख्य सचिव को यह निदेशित किया गया कि वे पुलिस महानिदेशक एवं सभी विभागों के साथ बैठक कर भी इससे अवगत करायें।
3. मुख्य मंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, माननीय उप मुख्य मंत्री एवं माननीय मंत्री गण के यहां से प्राप्त होने वाले शिकायतों की लोक शिकायत निवारण प्रणाली में प्रविष्टि के पूर्व देख लिया जाए और उसमें कोई मामला लोक शिकायत निवारण कानून के परिधि में नहीं आता हो तो उचित कार्रवाई हेतु वापस कर दिया जाए।
4. वर्षवार प्राप्त परिवादों का विश्लेषण किया जाए कि किस वर्ष किस प्रकृति की शिकायतें आयी है अर्थात उसका trend क्या है।

2. **लोक प्राधिकारों की उपस्थिति-** लोक प्राधिकारों की उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:-

1. मुख्य सचिव के स्तर पर सभी विभागों एवं पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर यह निदेशित किया जाए कि वे अपने विभागों के लोक प्राधिकारों की उपस्थिति की समीक्षा करें तथा सुनवाईयों में लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति एवं अरूचि के मामलों में सेवा नियमों के आलोक में सख्त कार्रवाई करें।
2. दण्ड के प्रावधान को और स्पष्ट एवं प्रभावी करने के लिए अधिनियम अथवा नियमावली में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।
3. लोक प्राधिकारों को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सप्ताह में कम से कम एक बार अपने Dashboard को जरूर Visit करें एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करें तथा habitual रूप से अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारों पर सेवा नियमों के आलोक में सख्त कार्रवाई करें।
4. कोई लोक प्राधिकार यदि दो लगातार सुनवाईयों में अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति के संबंध में मुख्यालय स्तर से भी संबंधित विभाग को अवगत कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में और संसाधनों की जरूरत हो तो उसे पूरा कर लिया जाए।

3. **जन जागरूकता-** माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लोक शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई एवं निवारण की एक ठोस और संस्थागत व्यवस्था है। आम लोगों के हित एवं सुविधा के लिए यह प्रणाली बनायी गयी है इसलिए अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को प्राप्त इस अधिकार का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इसके प्रति व्यापक जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग

कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग
पत्र बही
16 JAN 2020
संख्या 318
बिहार, पटना

ग्रामीण कार्य विभाग
16 JAN 2020
730
बिहार, पटना